



राजस्थान RAJASTHAN

AF 745988

- स्वातंत्र्य का सत्यमेव जयते (सत्यमेव जयते)
- 1) प्रमाणित होने के लिए जारी किया गया दिनांक 25-5-2016
 - 2) जारी करने वाले अधिकारी का नाम 25-5-2016
 - 3) प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम 25-5-2016
 - 4) प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम 25-5-2016
 - 5) प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम 25-5-2016


प्रमाणित करने वाले अधिकारी


प्रमाणित करने वाले अधिकारी



नं. नं. 091 दिनांक 25/05/16
प्राप्तकर्ता का मुख्यालय _____
दस्तावेज का नाम (100 = 1000)
पिता/पत्नी मुकेश कुमार
मि. नं./पता प्रसाद
मु. नं. (संशोधन एवं सहायता) का मुख्यालय गौरीगढ़
रचना द्वारा हस्ताक्षर (- 14/05/16)

ofc
ओम प्रकाश शर्मा
अतिरिक्त सहायक निदेशक
राजस्थान सरकार - बीकानेर (अध्यापक)
म. नं. - 28 / 2015



21
गणेश विद्यालय



“श्री”

::संपरिवर्तन पट्टा विलेख ::

बार्डेट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, जिला जयपुर
जरिये सचिव सीताराम यादव पुत्र श्री रामकुमार यादव, जाति
अहीर, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, कस्बा चौमूँ जिला
जयपुर राज. का हूँ।




Handwritten signature

कौडी कौपी प्रमाणित
Handwritten initials
नय पञ्जीयक गणेशविद्यालय (जयपुर)

Handwritten initials
नय पञ्जीयक नो. (जयपुर)

15

क्र.सं. 8554 जिला का दिनांक 21/01/16
 100 = 1000
 जिला का नाम **डाईट मूव शिक्षण संस्थान चोंडू**
 जिला **जयपुर** सचिव **सीताराम भाडव**
 मुख्यालय **श्री ० रामधुमार भाडव**
चोंडू
 (संपर्कित नु पदटा विलेख)


आनंद शर्मा
 जिलाधिकारी
 गोविन्दगढ़ तहसीला (जयपुर)
 ता. नं-06/2015

आज दिनांक 21/01/16
 श्री. **सीताराम भाडव**
 जिला **जयपुर**
 मुख्यालय **श्री ० रामधुमार भाडव**
 चोंडू
 जिला **जयपुर**
 मुख्यालय **श्री ० रामधुमार भाडव**
 चोंडू



जिला का नाम **जयपुर**
 जिला **जयपुर**
 मुख्यालय **श्री ० रामधुमार भाडव**
 चोंडू

दिनांक 21-1-2016
 जी.सं. 92/2015
 जी.सं. 1570
 जी.सं. 300
 जी.सं. 5R 790
 जी.सं. 7730
 कुल 10390


 जयपुर जिलाधिकारी

(2)

जो कि बाके ग्राम कालू का बास उर्फ श्याम नगर, पटवार हल्का घोबलाई, अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 526/1 रकबा 0.12 हेक्टेयर, भूमि की खातेदारी सम्पूर्ण राजस्व रिकोर्ड में बाईट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 526/1 रकबा 0.12 हेक्टेयर, मे से 0.06 हेक्टेयर भूमि अर्थात् 600 वर्गमीटर भूमि को कार्यालय विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जिला जयपुर के पत्र क्रमांक आर. ए./16/01 दिनांक 01/01/2016 के द्वारा संस्थानिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरित किया हुआ है जिसकी सम्पूर्ण राशि जरिये चालान न. 473(जी. आर.एन.08345987) दिनांक 09.11.2015 जमा दिनांक 09.11.2015 रुपये 6,000/- अक्षरे छः हजार रुपये, चालान न. 591 (जी.आर.एन.08940730) दिनांक 30.12.2015 जमा दिनांक 30.12.2015 रुपये 1,50,600/- अक्षरे एक लाख पचास हजार छः रुपये, कुल रु0 156600/- अक्षरे एक लाख छप्पन हजार छः सो रुपये राजकोष में जमा करवाये हुए है।

यह कि उक्त भूमि को सलग्न पट्टा मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ के द्वारा बाईट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, के नाम से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करते हुये मौके

स्तीव



डी कॉपी प्रसाजन
 उप पंजी
 डी.पी.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

संविधान विभाग संख्या नं. १०६
पश्चिम संघ के अध्यक्ष श्री वासुदेव माधव शंकर
माधव जगन्नाथ शिंदे निवासी इय्यास शिंदे
गोवर्धनी नगर

उक्त निवासेन दत्त श्री _____
इत्यादि के पक्ष में व समझकर व मुद्रित लिखावट
निवासेन कृत प्रमाण किया प्रतिफल राशि _____
राशि _____ को बंधन अदास्त
व _____ से प्राप्त प्राप्त करण
श्रीवासेन किया

10 फरवरी 1954 गोविन्दगढ़ (जयपुर)

शुभ
[Red circular stamp]



कोटा कौशी प्रजापिता
[Signature]
जयपुर

पहचान सूची के नाम व पते
(1) श्री गोविन्दगढ़ शिंदे
पुत्र श्रीवासेन शिंदे
उम 44 व्यवसाय शिंदे
जाति शिंदे पता प्रापणी तहसील निवासेन
(2) श्री श्रीवासेन शिंदे
पुत्र श्रीवासेन शिंदे उम 27
व्यवसाय शिंदे जाति शिंदे
पता श्रीवासेन शिंदे तहसील निवासेन
जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर जयपुर

10 फरवरी 1954 गोविन्दगढ़ (जयपुर)

[Signature]

श्रीवासेन शिंदे

[Red circular stamp]

पर बाईट मून शिक्षण संस्थान घौमूँ का ही कब्जा मालिकाना एवं स्वामित्व हक अधिकार है।

यह कि उक्त भूमि को सपरिवर्तन आदेश के सलंगन मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो नक्शा इस पट्टा विलेख का एक अभिन्न अंग रहेगा।

अतः यह पट्टा विलेख बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गयाहान के समक्ष सोच, समझ, व पढ सुनकर सही मानते हुये 100/-रुपये के स्टाम्प कीमती एक एव पेपर किता दो पर तहरीर व तकमील करवा दिया है, ताकि सनद रहे व वकत जरूरत समय पर काम आवे। इति 0 दिनांक



हो गयाहान
1. *[Signature]*
कमिष्नार उद्देश्य
वसंती कुलशर्मा
गौमूँ बापटी के विचारकर

हस्ताक्षर पट्टा धारी



फोटो
2. *[Signature]*
दशरथ कुमार

[Signature]
उप पजीयक गौमूँ नगड (जयपुर)



3. *[Signature]*
रामेश कुमार
रामेश कुमार
के अग्रज



21-1-2018
 प्राप्त दिनांक _____ की पुस्तक संख्या _____
 1 जिल्द संख्या 53 पुस्तक संख्या 54
 संख्या 174
 तथा अतिरिक्त पृष्ठ संख्या 114
 पृष्ठ संख्या 14 21
 पर चमका किया गया

श्री परमेश्वर मठ, जयपुर



कोटा कोष प्रशासक
 श्री परमेश्वर मठ, जयपुर

संपरिवर्तन आदेश

ब्राइटमून शिक्षण संस्थान सोमू जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातदारी अभिलेखि में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है-

1. आवेदक खातदार अनिवारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	ब्राइटमून शिक्षण संस्थान सोमू जिला जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं ।
3. संपरिवर्तित भूमि का खोरा (क) घन / कुण्ड पत्रावले / राहशील (ख) भूमि का खोरा स० एच प्रत्येक स० स० का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (ग) प्रत्येक स० स० के क्षेत्रफल को उपररहित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हे० या जर्मीटर में) विधायी - आवेदन पत्रफल = 100 संपरिवर्तित भूमि का खोरा = 10000 रु. जो प्रस्ताव पति को संस्था 100 के अनुसार दिया जाएगा है ।	कालिकाबाद ठरक श्यामनगर , सोयलाई, सोमू। खोरा 520 / 1 रुका 0.12 हे० । खोरा 520 / 1 रुका 0.12 हे० से 0.08 हे० अर्था 400 वर्गमी।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	परस्थानिक (Institutional) प्रयोजनार्थ
5. खोरा प्रोमेक्षण की दर	251 / - प्रो०मी०
6. गतान संख्या, तारीख सहित प्रोमेक्षण की राशि	घाते 473 (GRN08945087) दिनांक 09.11.2015 जमा दिनांक 28.11.2015 से रु० 6000 / - = 591 (GRN089450730) दिनांक 20.12.2015 जमा दिनांक 20.12.2015 से रु० 150000 / - कुल रु० 156000 / -
7. गतान संख्या, तारीख सहित धारित यदि कोई हो, जमा कराई गई रुका	-
8. गतान संख्या, तारीख सहित धारित यदि कोई हो, जमा कराई गई रुका	-
9. क्या आवेदन नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	-
10. जमा कोई विशिष्टता यदि कोई हो	-

उपखण्ड अधिकारी
सोमू (जयपुर)

फाटो कोपी प्रमाणित
जयपुर

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के आरक्षण हेतु -
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।
 2. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।
 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।
 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।
 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।
 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लिए नहीं किया जाएगा।



342-
अपर सहायक आयुक्त
 अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता

दिनांक 04.01.2016

आमांक सं. / 16/02-05

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (अनुसूचित / स 15) जयपुर।
2. सहायक कलेक्टर महोदय (अनुसूचित)।
3. प्रम. विभाग श्रीमान श्रीमान जयपुर।
4. अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता प्रम. विभाग जयपुर।

21-1-2016
 32
 174
 14 21

342-
अपर सहायक आयुक्त
 अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता



30 कलेक्टर महोदय (अनुसूचित)

कोटा कोटा प्रमाणिका
 अनुसूचित जाति प्रयोगकर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AF 745993

आवक का प्रकार गोविन्दगढ़ (जयपुर)

- 1) प्रीतिमि शु. अन्वय का दिनांक 25-5-2016
- 2) जमाना का दर्ज दिनांक 66 का दिनांक 25-5-2016
- 3) प्रीतिमि शु. अन्वय का दिनांक 25-5-2016
- 4) प्रीतिमि सौदारी का दिनांक 25-5-2016
- 5) प्रीतिमि जमा होने का दिनांक 8 नवंबर 25-5-2016


पदाधिकारी


श. पदाधिकारी गोविन्दगढ़ (जयपुर)



क्र. सं. 896 विभाग का विनांक 25/05/16
पुराणों का मुद्रांकन 100 = 1000
रचना का नाम सुदेश सुभाषण
लिख/पति सुदेश सुभाषण
निवासी/पता 159/3 L
मुद्रांकन करीदने एवं सम्बन्धित का मुद्रांकन 20/05/2016
रचना का हस्ताक्षर (नेमलगाकर)

४९

ओम प्रकाश शर्मा
अधिकृत स्टाम्प विभागा
पोलिन्टिग मद्र.-वीमें (जयपुर)
सा. न-04/2015



28 DEC 2015

संविधान संशोधन



“श्री”

::संपरिवर्तन पट्टा विलेख ::

बर्डेट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, जिला जयपुर
जट्टिये सचिव सीताराम यादव पुत्र श्री रामकुमार यादव, जाति
अहीर, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, कस्बा चौमूँ जिला
जयपुर राज. का हूँ।

हस्ताक्षर



फोटो कॉपी प्रमाणित

जय मजीठक सोडि (जयपुर)

जय मजीठक सोडि (जयपुर)

क्र. सं 8553 शेख का दिनांक 21/01/16
 मुदाफ का मुलाक़ात $\frac{1}{100} = 1000$
 जता का नाम **डाईट गून सिडो संस्थान चोंमू**
 पिता **त्रिमि सचिव सीताराम चाडव**
 निवासी **श्री राम दुभार चाडव**
 मुदाफ खानदान एव सम्बंधित का मुलाक़ात

चोंमू
 (संपरिवर्तित पहापिलेख)

[Signature]
 श्रीम प्रकाश शर्मा
 अधिकृत स्टाम्प विजेता
 गोविन्दगढ़ तह-चीनू (जयपुर)
 ला. नं.-08/2015

माज दिनांक 21/01/2016
 प्लॉट नं. 2-3 बंगला/कोठारे/घर श्री रामदुभार चाडव
 हनु/पुत्री/पत्नी/पति श्री रामदुभार चाडव
 प्लॉट 45 तह-चीनू पहापिलेख विजेता
 निवासी श्रीम प्रकाश शर्मा गोविन्दगढ़, जयपुर
 जयपुर जमीन का विवरण एवं मालिकता का प्रमाण पत्र



[Signature]
 श्री प्रकाश शर्मा, जयपुर

कोटो कोष प्रशासित
[Signature]
 मा. पञ्जीयक गोविन्दगढ़ जयपुर

मा. नं.	91/2015	दिनांक	21-1-2016
ग्रामपंच मुक्त रू			3770
जिलाधिकारी मुक्त रू			300
इस मुक्त रू	52		1890
इसी तहसील मुक्त रू			1870
कुल मुक्त रू			24670

[Signature]
 उप पञ्जीयक गोविन्दगढ़ (जयपुर)

(2)

जो कि वाके ग्राम कालू का बास उर्फ श्याम नगर,पटवार हल्का घोबलाई, अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 527/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 528/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता दो का कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में बाईट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 527/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 528/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता दो का कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर अर्थात 1900 वर्गमीटर भूमि को कार्यालय विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जिला जयपुर के पत्र क्रमांक आर. ए./15/116 दिनांक 10/11/2015 के द्वारा संस्थानिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरित किया हुआ है जिसकी सम्पूर्ण राशि जरिये चालान न. 344(07943363) दिनांक 06.10.2015 जमा दिनांक 06.10.2015 रुपये 31,000/- अक्षरे इक्तीस हजार रुपये, चालान न. 364(08273206) दिनांक 03.11.2015 जमा दिनांक 03.11.2015 रुपये 63,012/- अक्षरे तरेसठ हजार बाइठ रुपये, चालान न. 364(08273206) दिनांक 03.11.2015 जमा दिनांक 03.11.2015 रुपये 2,82,036/- अक्षरे दो लाख बयासी हजार छतीस रुपये, राजकोष में जमा करवाये हुए है।

यह कि उक्त भूमि को सलणन पट्टा मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ के द्वारा बाईट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, के नाम से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करते हुये मौके



कोटी कोपी प्रमाणित
10/11/2015
उप पंजा

10/11/2015

सर्वोच्च शिक्षण केंद्र नाम - चौम
जमिने मालिक श्री राजेश चंद 3/5 रामसुमार
पत्तन जाति चौम सिमात्री रामसुमार
188 दिनांक 18/11/2018 को जारी चौम

तुम्हें
इसके लिए मैंने तुम्हें 1000 रूपये का चेक जारी किया है। प्रमाणित करने के लिए
मैंने इसे सिमात्री के पास भेजा है।
यदि तुम्हें कोई सवाल है तो मुझे सूचना देना।
धन्यवाद।

उपरोक्त गोविन्दगढ़ सिमात्री



फोटो कीटा प्रमाणित
उपरोक्त गोविन्दगढ़ सिमात्री

पहचान बुला के नाम प्रती
(1) श्री रामसुमार चंद गुजर
पुत्र सुभाष चंद
उम्र 44 व्यवसाय सिमात्री
जाति गुजर पत्ता पोस्टा चौम चौम
(2) श्री देवेश चंद
पुत्र सुभाष चंद उम्र 27
व्यवसाय सिमात्री पत्ता चौम चौम
पत्ता सिमात्री चौम चौम
188 दिनांक 18/11/2018 को जारी चौम

उपरोक्त गोविन्दगढ़ सिमात्री



देवेश चंद



(3)


पर चार्टर्ड नून शिक्षण संस्थान चौमूँका ही कब्जा मालिकाना एवं स्वामित्व हक अधिकार है।


यह कि उक्त भूमि को सपरिवर्तन आदेश के सलंगन मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो नक्शा इस पट्टा विलेख का एक अभिन्न अंग रहेगा।

अतः यह पट्टा विलेख बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच, समझ, व पढ सुनकर सही मानते हुये 100/-रुपये के स्टाम्प कीमती एक एव पेपर किता दो पर तहरीर व तकमील करवा दिया है, ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति० दिनांक

ह० गवाहान

हस्ताक्षर पट्टा धारी

1. 



कोमलार माल खुर्द
5/0 नो मुलाठ - नद
ग्राम पापडी, 18-विधानसभा
शरारथ कुमार

2. हरिकृष्ण कुमार 5/0 मुलाठुकी
पति-दामिनी, जित-सिमार नाला
18-विधानसभा

जय प्रदीपक मालिक - 18-विधानसभा



फोटो कापी प्रमाणित
जय प्रदीपक मालिक



शत दिनांक 21-1-2016
 की पुरस्क मंजूर
 जिले संख्या 32 का क्रमांक 53
 मूल्य 173
 का आधिकारिक प्रमाण
 दस्तावेज संख्या 6/19
 का प्रमाण दिया गया

उपरोक्त साक्षि (जिसपुर)



फोटो कीपी प्रमाणित
 का प्रमाणित प्रमाणित

संपरिवर्तन आदेश

ब्राइट मून शिखण संस्थान चौमू जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि भूमि का आकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन आकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	ब्राइट मून शिखण संस्थान चौमू जिला जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं ।
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील (ख) भूमि का खसरा न० एवं प्रत्येक ख० न० का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक ख० न० के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हे० या वर्गमीटर में)	कालूकाबास उर्फ इचामनगर, धौधलाई, चौमू। ख० न० 527/2 रकबा 0.18 हे० ख० न० 528/2 रकबा 0.01 हे० । ख० न० 527/2 रकबा 0.18 हे० ख० न० 528/2 रकबा 0.01 हे० में से सम्पूर्ण 0.19 हे० अर्थात् 1900 वर्गमी० ।
टिप्पणी - आकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सन्तुष्ट रूप से जांचपति प्रति संलग्न है।	
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (Institutional) प्रयोजनार्थ
5. सदेय प्रीमीयम की दर	49.48/- प्र०30000
6. बालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	बान न० 344 (01943363) दिनांक 08.10.2015 कोष दिनांक 06.10.2015 से न० 31000/-, बान न० 464 (08273206) दिनांक 03.11.2015 जमा दिनांक 03.11.2015 से न० 83012/- कुल न० 94012/-
7. बालान संख्या, तारीख सहित शारित यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	बान न० 464 (08273206) दिनांक 03.11.2015 जमा दिनांक 03.11.2015 से न० 282038/-
8. बालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	—
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	—
10. अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	—



फोटो कॉपी प्रस्तावित

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

- 11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -
1. उपर्युक्त अक्षुब्ध प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रदान कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में उष्ण वर्णित भूमि का उपयोग अक्षुब्ध प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकावयोजी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अक्षुब्ध उपयोग नहीं किया जायेगा।
 6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प० 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
 7. राजस्थान भूराजस्व (शामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 एच इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।



15/117-20

(अशोक कुमार चौधरी)
विहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी धौमु जिला जयपुर

दिनांक 10-11-2015

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व/रा. ले.) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील धौमु।
3. ग्राम पंचायत घोबलाई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
4. आवेदक ब्राइट नून शिवाण संस्थान धौमु जिला जयपुर।

21-1-2016 को प्रस्ताव संख्या 53 का
प्रति दिन 32 का प्रस्ताव संख्या 114
संख्या 173 का प्रस्ताव संख्या 15
एक अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या 6
एच संख्या 15
प्रस्ताव संख्या 6

(अशोक कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड धौमु जिला जयपुर

रा.स. संस्थापक गोविन्दगढ़ (जयपुर)

फोटो कौपी प्रमाणित
रा.स. संस्थापक गोविन्दगढ़ (जयपुर)



राजस्थान RAJASTHAN

AR 627883



::पट्टा विलेख(संपरिवर्तन आदेश)::

बाईटमून शिक्षण संस्थान चौमूँ, जरिये सचिव सीताराम

यादव पुत्र श्री रामकुमार यादव, जाति अहीर, निवासी श्याम

नगर कॉलोनी, करबा चौमूँ जिला जयपुर राज. का हूँ।



राजस्थान गौविन्दगढ़ (जयपुर)

4327 25/01/2019

कार्ट मून विभाग संस्थान पोस्ट कार्ड
सीताराम गहवरे & रामकुमार गहवरे
उपस्थिति/संस्था/पते - पोस्ट
पते - पते (कनकनगरमोड)



सुरेश चंद्र सार्ना
अधिकार विभाग
राज्य सरकार, पोस्ट (कनकनगरमोड)

1. आधारकर्ता	10
2. गुरु	10
कुल 20	
संस्था/संस्थान	

(2)

जो कि वाके ग्राम कालू का बास उर्फ श्याम नगर,पटवार
हल्का घोबलाई, अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित
आराजी भूमि खसरा नम्बर 526/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर,
1474/526 रकबा 0.1011 हैक्टेयर, कुल कित्ता दो का कुल
रकबा 0.1611 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड
में बाईट मून शिक्षण संस्थान चौमूँ, के नाम से दर्ज है। उक्त
आराजी भूमि खसरा नम्बर 526/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर,
1474/526 रकबा 0.1011 हैक्टेयर, कुल कित्ता दो का कुल
रकबा 0.1611 हैक्टेयर अर्थात 1611 वर्गमीटर भूमि को कार्यालय
विहित प्राधिकारी, उपस्रण्ड अधिकारी, चौमूँ जिला जयपुर के पत्र
कमांक आर.ए./रूपा0/19/21 दिनांक 11/01/2019 के द्वारा
संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ रूपांतरित किया हुआ है जिसकी
सम्पूर्ण राशि जरिये चालान न. 318(GRN 24553928) दिनांक
09.08.2018, जमा रुपये 16,000/- अक्षरे सोलह हजार रुपये,
चालान न. 464(GRN 27500851),दिनांक 11.01.2019 जमा



[Handwritten signature]

Presentation Endorsement

आज दिनांक 25 माह 01 सन 2019 को 05:00 PM बजे
श्री/श्रीमती/शुभे BRIGHTMOON SHIKSHAN SANSTHAN CHOMU
JARIYE SACHIV SITARAM YADAV पुत्र/पुत्री/पति श्री RAM KUMAR
YADAV

उम्र 48 वर्ष, जाति —Select—AHIR, व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:0, Colony: SHAYAM NAGAR COLONY, CHOMU,
Area: SHAYAM NAGAR COLONY, CHOMU, City: CHOMU, Pin code:
303702, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
से भी संसुद्ध दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

201901168000199

GOVINDGARH

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201902168000080
दिनांक	25-01-2019
पंजीयन शुल्क ₹	4297
प्रतिनिधि शुल्क ₹	0
पुस्तकित शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	12889
कमी सरचाज शुल्क ₹	2578
कुल योग	20064

201901168000199

GOVINDGARH

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



(3)

दिनांक 11.01.2019 रुपये 413605/- अक्षरे चार लाख तेरह हजार छः सो पांच रुपये, कुल रुपये 429605/- अक्षरे चार लाख उन्तीस हजार छः सो पांच रुपये राजकोष में जमा करवाये हुये है।

यह कि उक्त भूमि को सलंगन पट्टा मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के द्वारा बर्डेट मून शिक्षण संस्थान चौमूं के नाम से, संस्थानिक (शिक्षणिक) प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करते हुये मौके पर बर्डेट मून शिक्षण संस्थान चौमूं का ही कब्जा मालिकाना एवं स्वामित्व हक अधिकार है। अतः उक्त जारी पट्टा(संपरिवर्तन आदेश) का पंजियन करवाना चाहते है।

यह कि उक्त भूमि को संपरिवर्तन आदेश के सलंगन मानचित्र में लाल रंग की लाईन से प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो नक्शा इस पट्टा विलेख का एक अभिन्न अंग रहेगा।






Enforcement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारी का नाम व पता	छायाचित्र	अंगुठी	पक्षकारी का प्रकाश
1	श्री/श्रीमती/शुभे श्री BRIGHTMOON SHKISHAN SANSTHAN CHOMU JARIYE SACHIV SITARAM YADAV, पुनर्पुत्री/पति श्री RAM KUMAR YADAV, खारखर, Farmer/कृषि Select—AHIR House No. 5, Colony, SHAYAM NAGAR COLONY, CHOMU, Area: SHAYAM NAGAR COLONY, CHOMU, City: CHOMU, Pin code: 303702, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age 48 Signature

मे प्रोपियर Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules, को पद-सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

जिनका एपि नं 429605- चूने में / सर गणेश / में ही नं 429605- चूने में _____ व मे कसब प्राप्त करना स्वीकार किया।

उनका निष्पादन करने की पहचान निम्न व्यक्तियों में की है, जिनके इस्तफा कर पद अंगुली निशान में स्वयं किए गए हैं।

अनु क्र.	पक्षकारी का नाम व पता	छायाचित्र	अंगुठी	इस्तफा
1	Name: श्री/श्रीमती/शुभे श्री RAM KUMAR YADAV, पुनर्पुत्री/पति श्री OVERDHAN जति AHIR Age: 33 Add: House No. 5, Colony: BALEKHAN, Area: BALEKHAN City: CHOMU, Pin code: 303712, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/शुभे श्री JAGDESH SINGH CHOUHAN, पुनर्पुत्री/पति श्री CHAMU SINGH जति RAJPUT Age: 37 Add: House No. 5, Colony: KALYAN NAGAR ROAD, VKIA, JAIPUR, Area: KALYAN NAGAR ROAD, VKIA, JAIPUR, City: Jaipur, Pin code: 302023, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201901168003199



जा. ज. नि. प. स. राजस्थान सरकार, जयपुर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

(4)

अतः यह पट्टा विलेख बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश
हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात में निम्न गवाहान के समक्ष सोच,
समझ, व पढ़ सुनकर सही मानते हुये 100/-रुपये के स्टाम्प
कीमती एक एच पेपर किता तीन पर तहरीट व तकमील करवा दिया
है, ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे।


इति 0 दिनांक

ह 0 गवाहान

हस्ताक्षर पट्टा घारी

जरिये सचिव

1. रामकुमार भादव
रामकुमार भादव
S/o गो. भादव
जयपुर जिला सी. ए. सी.

2. 
G. S. Singh
S/o - श्री सिंह
जी के नगर जयपुर
जयपुर



जयपुर जिला सी. ए. सी. जयपुर




Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत अग्रणीय-पर्यटन प्रयोग के लिए जहां है कि इस खंड पर की मासिक रा. 425600- सजाते हुए इस पर
दिए जाने मुद्रांक राशि रु. 12889 पर कमी प्रत्येक शुल्क रु. 4250, सरकारी रशि 2578 कुल रु. 15764 सीट संख्या
201902168000060 दिनांक 25/01/2019 में जारी किये गये है।

मतः- इससेवा को रु. 12889 के मुद्रांक पर विस्थापित माना जाता है।

201901168000199


श्री. सुरेश कुमार, भोवण्डा, जयपुर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural
land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 25/01/2019 को


पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 61 में

पृष्ठ संख्या 89 इम संख्या 201903168100190 पर नजीबद्वय किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 230 के

पृष्ठ संख्या 201 से 210 पर धरया किया गया।

201901168000199


श्री. सुरेश कुमार, भोवण्डा, जयपुर

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for
non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर
क्रमांक आ.ए / रूपाड / 19 / 21

दिनांक 11/1/19

संपरिवर्तन आदेश

ब्राइटमून शिक्षण संस्थान, चौमू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	ब्राइटमून शिक्षण संस्थान, चौमू
2	क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	कालू का बास उर्फ श्यामनगर, घोबलाई, चौमू।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ख०न० 526/1 रकबा 0.06 हे०. ख.न. 1474/526 रकबा 0.1011 हे०. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.1611 हेक्टे०
	(ग) प्रत्येक ख० स० के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हे० या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नमों के सुरंगत नाम की सम्यक रूप से संशोधित प्रति संलग्न है।	ख०न० 526/1 रकबा 0.06 हे०. ख.न. 1474/526 रकबा 0.1011 हे०. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.1611 हेक्टे० सम्पूर्ण अर्थात् (1611 वर्गमी०)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	266.67/- प्र०व०मी०
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चान.318(GRN 24553928) दिनांक 09.08. 2018 जमा दिनांक 09.08.2017 से रु० 16000/-, चान. 464 (GRN 27500851) दिनांक 11.01.19 जमा दिनांक 11.01. 2019 से रु० 413605/- कुल रु० 429605/-
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	
	क्या कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	



11/01/2019
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर